

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-415 / 2010

संस्थित दिनांक-24.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

ओमकार उर्फ ओमप्रकाश पिता भोजराम ठाकरे, उम्र 41 वर्ष,

निवासी-ग्राम लच्छीटोला डोंगरिया, थाना परसवाड़ा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-21/08/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-27.05.2010 को समय 6:30 बजे ग्राम नगरवाड़ा रोड सीताटोला व अहमदपुर के बीच आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत वाहन क्रमांक-एम.पी. 50/ए.2120 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, वाहन में बैठे मृतक संतोष की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-27.05.2010 को समय 6:30 बजे ग्राम नगरवाड़ा रोड सीताटोला व अहमदपुर के बीच आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत प्रीतम ठाकरे के स्वामित्व के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.2120 में जिसमें मृतक संतोष व अन्य लोग बैठे हुए थे। उक्त ट्रेक्टर के चालक आरोपी ओमकार उर्फ ओमप्रकाश द्वारा वाहन को तेज गति से चलाया गया, जिससे उक्त ट्रेक्टर में बैठा संतोष ट्रेक्टर की ट्राली से गिर गया और चक्के में दबने से संतोष की मृत्यु हो गई, जिसे आरोपी व अन्य लोगों ने मृतक की लाश को उसके घर पर ले जाकर छोड़ दिये और चले गये। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी महारू परते द्वारा थाना परसवाड़ा में दी गई। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक संतोष की मृत्यु के संबंध में मार्ग इंटीमेशन क्रमांक-11/10 तैयार कर पंचो के समक्ष नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-32/2010, धारा-279, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी ओमकार उर्फ ओमप्रकाश को भा.द.वि. की धारा-279, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है। आरोपी प्रीतम ठाकरे के द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा-77/177 के अपराध के अंतर्गत की गई स्वैच्छा स्वीकृति के आधार पर दिनांक-07.12.2010 को निर्णय पारित कर उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और आरोपी प्रीतम ठाकरे के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-27.05.2010 को समय 6:30 बजे ग्राम नगरवाड़ा रोड सीताटोला व अहमदपुर के बीच आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत वाहन क्रमांक-एम.पी.50/ए.2120 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर उसमें बैठे मृतक संतोष की मृत्यु कारित किया, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

#### **विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-**

5— प्रार्थी महारुसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को जानता है, जो उसके गांव का रहने वाला है। मृतक संतोष उसका भाई था। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व लगभग 6:00 बजे की है, घटना समय वह अपने घर था तब गाडी मालिक ओमकार ने उसके भाई मृतक संतोष के शव को उसके घर लाया। उक्त ट्रेक्टर प्रीतम ठाकरे का है, जिसे आरोपी ओमकार चला रहा था, जिसमें उसका भाई मृतक संतोष ईट भरने गया था। उक्त ट्रेक्टर में देवसिंह, रामप्रसाद, पप्पू, संतलाल वगैरह बैठे हुए थे, जिन्होंने उसके भाई के शव को उसके घर पर उतार दिया और वापस चले गये। उसके भाई के साथ जो ईट भरने गये थे, उन्होंने उसे घटना के बारे

में बताया था, जिस पर उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना परसवाडा में प्रदर्श पी-1 दर्ज करवा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कहना है कि उसे भवन ने बताया था कि मृतक संतोष ट्रेक्टर के पीछे टेक निकालने गया था तभी ट्रेक्टर पीछे हो गया और संतोष के शरीर के ऊपर से ट्रेक्टर का चक्का चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना समय उक्त ट्रेक्टर को आरोपी ओमकार चला रहा था, जिसकी गलती से दुर्घटना हुई। पुलिस ने उसे मृतक संतोष की मृत्यु जांच पंचायतनामा में उपस्थित होने की सूचना दिया था, जो प्रदर्श पी-2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे भवन ने आरोपी द्वारा ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाये जाने के बारे में बताया था। साक्षी ने अपने कथन में अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह भवन के बताये अनुसार ही घटना बता रहा है। उसके सामने घटना नहीं हुई, इस कारण वह नहीं बता सकता कि उसका भाई कैसे मरा।

6— लालसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को जानता है, जो उसके गांव का रहने वाला है। मृतक संतोष उसका पुत्र था। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है, घटना समय वह अपने घर था। उसका लडका संतोष ट्रेक्टर में ईट भरने का कार्य करता था। घटना दिनांक को मृतक संतोष घर से सुबह 5:00 बजे निकल गया था। संतोष ट्रेक्टर की ट्राली से टेका निकाल रहा था तो ट्राली का चक्का उसके शरीर के ऊपर से चला गया था, जिससे दब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मजदूरों ने उसे बताये थे कि घटना के समय ट्रेक्टर को भवन चला रहा था, उसके पुत्र संतोष के शव को उसके घर पर उतार दिये थे। उक्त दुर्घटना कारित ट्रेक्टर प्रीतम के छोटे भाई ओमकार का था। जब उसके घर पर संतोष के शव को लाया गया था, उस समय ट्रेक्टर को प्रीतम चला रहा था। पुलिस ने उक्त घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसे मृतक संतोष की मृत्यु जांच पंचायतनामा में उपस्थित होने की सूचना दिया था, जो प्रदर्श पी-2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि ट्रेक्टर को भवन चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपने कथन में आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।

7— राधेदास (अ.सा.4) एवं रामचरण (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वे आरोपी ओमप्रकाश एवं मृतक संतोष को पहचानते हैं। घटना लगभग 2 माह पहले की बात है, मृतक संतोष के शव को ट्रेक्टर में लाकर उसके घर

पर सुला दिये थे। पुलिस वाले आये थे और पंचनामा बनाये थे। प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार अमरलाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी ओमप्रकाश को जानता है। मृतक संतोष को नाम से नहीं जानता। पुलिस ने उसे मृतक संतोष की मृत्यु जांच पंचायतनामा में उपस्थित होने की सूचना दिया था, जो प्रदर्श पी-2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने उक्त दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— भवन (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी ओमप्रकाश एवं मृतक संतोष को पहचानता है। घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है, वे लोग अहमदपुर से ईटा भरकर प्रीतम ठाकरे के ट्रेक्टर से आ रहे थे, जिसमें 4-5 लोग और भी थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। रास्ते में उन्हें संतोष गिरा पड़ा हुआ मिला था, जिसे उन लोगों ने ट्रेक्टर में उठाकर लेकर आये थे और उसके घर पर छोड़ दिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष मौका नक्शा नहीं बनाया था। मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए संतोष को ट्रेक्टर से गिरा दिया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि उक्त साक्षी के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी का यह कथन है कि वह घटना के समय उक्त ट्रेक्टर को चला रहा था।

9— प्रीतम ठाकरे (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता, उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन का अ से अ भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किया। उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। साक्षी ने अभियोजन मामले में किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— बबलू (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व लगभग 10-11 बजे की है, वे लोग ट्रेक्टर में ईटा भरकर आ रहे थे तो अहमदपुर एवं छिट्टाटोला के बीच सुबह मृतक संतोष पहले से गिरा हुआ पड़ा था, उनके गांव का आदमी होने के कारण उन लोगों ने उसे उठाकर लाये और मृतक संतोष के घर पर छोड़ दिये थे, फिर वे लोग ट्रेक्टर से ईटा खाली करने चले गये। उससे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं किया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने से ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार



किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतक उसके साथ मजदूरी करने नहीं गया था तथा ऐसा नहीं हुआ कि मृतक उनके ट्रेक्टर में बैठा था, जिससे वह गिर गया। साक्षी ने अभियोजन मामले में किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— देवसिंह (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व लगभग 10-11 बजे की है, वे लोग ट्रेक्टर में ईट भरकर आ रहे थे तो रास्ते में संतोष गिरा हुआ पड़ा था, उनके गांव का आदमी होने के कारण उन लोगों ने उसे उठाकर लाये और मृतक संतोष के घर पर छोड़ दिये थे, फिर वे लोग ट्रेक्टर से ईटा खाली करने चले गये। साक्षी ने कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि संतोष क्यों और कैसे गिरा हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले में किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

12— भैयालाल (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व लगभग 10-11 बजे की है, वे लोग ट्रेक्टर में ईट भरकर ला रहे थे, जिसे आरोपी चला रहा था। रास्ते में गांव का संतोष गिरा हुआ पड़ा था, उनके गांव का आदमी होने के कारण उन लोगों ने उसे उठाकर गांव ले गये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले में किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

13— संतलाल (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह, भैयालाल, भवन, बैसाखू, बबलू ईट भरने ट्रेक्टर से गये थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। मृतक संतोष सड़क किनारे चोटिल हालत में गिरा हुआ पड़ा था, वे लोग उसे उठाकर उसके घर लेकर गये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले में किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर.के.समद (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-27.05.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक विनोद क्रमांक-950 द्वारा मृतक संतोष पिता लालसिंह के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु उसके शरीर के अंदर के अंग फटने से उसके शरीर से अत्याधिक मात्रा में हुए रक्तस्राव के कारण मृत्यु होना मृत्यु होना प्रतीत होती है। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतक संतोष की दुर्घटना में गंभीर चोट आने के कारण मृत्यु हो गई थी।

15— विजय (अ.सा.13) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे विगत 20—22 वर्षों से हल्के वाहन चलाने व सुधारने का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक—29.05.2010 को ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.2120 मय ट्राली के परीक्षण किया गया था। उक्त मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में कथित दुर्घटना कारित वाहन के परीक्षण किये जाने के संबंध में पुष्टि की है।

16— अनुसंधानकर्ता अधिकारी गुरबचनसिंह (अ.सा.14) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—27.05.2010 को थाना परसवाड़ा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता महारू परते की सूचना पर अपराध क्रमांक—32 / 10, धारा—279, 304ए भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 एवं मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—9 लेख किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी भवन की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही पंचो की उपस्थिति में मृतक संतोष का पंचायतनामा प्रदर्श पी—2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक संतोष के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा भेजा गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा सूचनाकर्ता महारू, साक्षी भवन, बैसाखू, प्रीतम, बबलू, देवसिंह उर्फ शेखा, लालसिंह, भैयालाल, संतलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी ओमकार के द्वारा एक नीले रंग का ट्रेक्टर मय ट्राली के चालू हालत में पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—10 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—11 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा ट्रेक्टर एवं ट्राली का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था। उसके द्वारा मृतक के शव की फोटो चालान के साथ संलग्न किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि मामले की प्रकृति के अनुसार मात्र अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस कारण उक्त साक्षी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता।

17— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को चलाये जाने के संबंध में समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक संतोष की किसी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चूंकि किसी भी

साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना के समय कथित दुर्घटना कारित ट्रेक्टर चलाये जाते हुए देखे जाने की साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है, जिस कारण आरोपी को मृतक संतोष की मृत्यु हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सके।

18— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक संतोष को वाहन से गिराकर या उस पर से वाहन चढ़ाकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा-279, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.2120 व ट्राली मय दस्तावेज के सुपुर्ददार प्रीतम ठाकरे पिता भोजराम ठाकरे को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट